mentalwelfare
commission for scotland

K Floor
Argyle House
3 Lady Lawson Street
Edinburgh
EH3 9SH

फोन: 0131 222 6111
फैक्स: 0131 222 6112
enquiries@mwcscot.org.uk

www.mwcscot.org.uk

mentalwelfare
commission for scotland

स्काटलैंड के भीतर हमारी भूमिका

यह पर्चा बताता है

- हम कौन हैं
- देखभाल और उपचार के वे मानक जो कि हमारे विचार से आपको मिलने चाहिएं
- मानसिक स्वास्थ्य कानून और आपके लिए इसका क्या अर्थ है
- हम क्या करते हैं
- हमसे संपर्क कैसे करें

हम कौन ह

हम किसी प्रकार के मानसिक रोग, सीखने की अक्षमता या अन्य मानसिक समस्या वाले प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की हिफाजत और उनके कल्याण के लिए कार्यरत एक स्वतंत्र संगठन हैं। हमारे कर्तव्य मानसिक स्वास्थ्य कानून में निर्धारित हैं।

हमारे संगठन में ऐसे लोग हैं जिनके पास मानसिक स्वास्थ्य और सीखने की अक्षमता की समझ और अनुभव है। हममें से कुछ लोग स्वास्थ्यचर्या, सामाजिक कार्य या कानून की पृष्ठभूमि वाले हैं।

हममें से कुछ लोग देखभालकर्ता हैं या हमने स्वयं ही मानसिक स्वास्थ्य एवं सीखने की अक्षमता से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल किया है।

हमारा मानना है कि मानसिक बीमारी, सीखने की अक्षमता या अन्य मानसिक समस्या वाले प्रत्येक व्यक्ति:

- के साथ सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाना चाहिए;
- को ऐसा उपचार पाने का अधिकार है, जिसकी कानून अनुमति देता है और जो प्रोफेशनल स्टैन्डडर्स को हर तरह से पूरा करता है;
- को दुर्व्यवहार, उपेक्षा या भेदभाव से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है;
- को देखभाल और उपचार का वह स्तर प्राप्त हो जो उसकी जरूरतों को सर्वोत्तम तरीके से पूरा करता हो; और उसे यथासंभव परिपूर्ण जीवन व्यतीत करने में समर्थ बनाया जाए।

हम क्या करते हैं

हम इस बात का पता लगाते हैं कि क्या व्यक्तिगत उपचार कानून और उन परिपाटियों के अनुरूप है जो कि हमारी जानकारी के अनुसार अच्छी तरह काम करती हैं;

- हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य और सीखने की अक्षमता से जुड़ी सेवाओं का उपयोग करते हैं और उन्हें हम ये मुहैया कराते हैं। इसके अलावा हम देखभालकर्ताओं, समर्थन जुटाने वाले कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संगठनों और ऐसे लोगों की देखभाल और उपचार से जुड़ी अन्य एजेंसियों से भी मिलते हैं;
- हम ऐसे लोगों के काग ात और रिकार्ड की जांच करते हैं जिनकी कि देखभाल की जा रही है या जिनका मानसिक स्वास्थ्य कानून के तहत इलाज किया जा रहा है। अगर हमें लगता है कि कोई समस्या है तो हम फॉलोअप करेंगे;

हम मानसिक बीमारी या सीखने की अक्षमता वाले लोगों को सेवा प्रदान करने वालों को यह सुनिश्चित करने के लिए चुनौती देते हैं कि वे देखभाल का उच्चतम स्तर प्रदान करें;

- हम सेवाओं का प्रबंध करने वाले लोगों से इस बारे में पूछ-ताछ करते हैं कि वे लोगों की देखभाल और उनका उपचार कैसे करते हैं। हम ऐसे मामलों की जांच करते हैं जहां हमें ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति की देखभाल में कुछ गंभीर गलती हुई है;

हम अच्छी तरह काम करने वाली परिपाटियों की पहचान करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य एवं सीखने की अक्षमता से जुड़ी सेवाओं से संबद्ध लोगों को उन्हें उपयोग में लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं;

- हम उन लोगों को सलाह, सूचना और मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य एवं सीखने की अक्षमता से जुड़ी सेवाओं का उपयोग करते हैं या उन्हें उपलब्ध कराते हैं;
- हम उन लोगों को सलाह प्रदान करते हैं जो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि देखभाल और उपचार पाने का उनका अधिकार-या उनकी जान-पहचान के किसी व्यक्ति का अधिकार उसे मिलता भी है या नहीं। हम अक्सर उन समस्याओं का पता लगाते हैं जिनके बारे में वे हमें बताते हैं,

- हम देखभाल और उपचार प्रदान करने वाले लोगों को इस बारे में सलाह और जानकारी देते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य कानून या अक्षमता वाले वयस्कों से संबंधित कानून कैसे काम करते है;
- हम नैतिकता से जुड़े मुद्दे हैं और मानसिक स्वास्थ्य एवं सीखने की अक्षमता से जुड़ी देखभाल प्रदान करने के सर्वोत्तम तरीकों को बढ़ावा देते हैं;

इस बारे में हमारी राय पर गौर किया जाता है कि सेवाओं और नीतियों का विकास कैसे किया जाए;

- स्कॉटलैंड की कार्यपालिका, मंत्रियों और एम.एस.पी. से हमारे सीधे संपर्क हैं। पेशेवर एवं स्वयंसेवी संगठनों के साथ भी हमारे संबंध हैं और हम इस बात को प्रभावित करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करते हैं कि नीतियां कैसे विकसित की जाएं और उन्हें व्यवहार में कैसे उतारा जाएं;

हम इस बारे में जानकारी जुटाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और अक्षमता वाले वयस्कों से संबंधित कानून कैसे लागू किए जा रहे हैं। हम इस जानकारी का उपयोग पूरे स्कॉटलैंड में इन कानूनों के बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए करते हैं;

- इन कानूनों के तहत हमें आपातकालीन, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक आदेशों की सूचना दी जाती है;
- हम इन कानूनों के तहत देखभाल और उपचार पा रहे लोगों से, उनके अनुभवों की जानकारी प्राप्त करने के लिए बात-चीत करते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य कानून और इसका आपके लिए क्या महत्व ह

हम मानसिक स्वास्थ्य (देखभाल एवं उपचार) (स्कॉटलैंड) कानून 2003 के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार इस कानून के तहत आपका उपचार करने वाली किसी भी व्यक्ति को इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है:

- अपनी देखभाल और उपचार के बारे में आपकी पहले की और अब की इच्छाएं;
- आपके द्वारा नामित व्यक्ति और आपके किसी देखभालकर्ता, अभिभावक या कल्याण अधिवक्ता के विचार;
- आपकी देखभाल और उपचार के लिए उपलब्ध विकल्पों की श्रृंखला;
- वह देखभाल और उपचार जो कि आपको अधिकतम लाभ पहुंचाएगी;
- आपकी व्यक्तिगत योग्यताएं और पृष्ठभूमि; और आपके बारे में आपकी उम्र, लिंग, सेक्सुअल उन्मुक्तता, धर्म, नस्ली मूल या सदस्यता या कोई जातीय समूह जैसी महत्वपूर्ण बातें।

आपको देखभाल की सुविधा प्रदान करने वाले लोगों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- आपकी आजादी पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ही हो जिनका आपकी सुरक्षा के लिए कम-से-कम जरूरत हो;
- आपका उपचार किसी भी दूसरे व्यक्ति के मुकाबले इसलिए कम मनोयोग से न किया जाए कि आपका उपचार मानसिक स्वास्थ्य कानून के तहत किया जा रहा है;
- आपके देखभालकर्ता की जरूरतों को यथासंभव ध्यान में रखा जा रहा है और आपके देखभालकर्ताओं को वह जानकारी प्राप्त हो रही है जो कि उन्हें अपनी भूमिका निभाने में मदद कर सकती है;
- आपको वे सेवाएं प्राप्त हो रही हैं जो आपकी जरूरतों के लिए उपयुक्त हैं;
- जब आपकी अनिवार्य रोक दी जाती हॅं, तब भी आपको आपकी जरूरत की देखभाल और उपचार तब तक मिलता रहता है जब तक जरूरत रहती है; और अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आपके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

हमसे संपर्क कैसे करें

Mental Welfare
Commission for Scotland

K Floor
Argyle House
3 Lady Lawson Street
Edinburgh
EH3 9SH

सेवा उपयोगकर्ता और देखभालकर्ता के लिए फ्रीफोन
0800 389 6809
Office 0131 222 6111

www.mwcscot.org.uk

आपके विचार

हम यह जानना चाहते हैं कि आप हमारी सेवा के बारे में क्या सोचते हैं। अगर हमने कुछ गलत किया है तो हम चाहेंगे कि हमें उसे ठीक करने की कोशिश का मौका मिले।
बेशक हम यह भी जानना चाहेंगे कि हम सहायता करने में कब सफल रहे। अत: अगर आपको कोई शिकायत करनी है, कोई टिप्पणी करनी है या सराहना करनी है तो कृपया हमें 0800 389 6809 पर फोन करें। आप जो कुछ भी कहेंगे हैं उसे हम सुनेंगे और उसका उयोग भविष्य में अपनी सेवा में सुधार लाने के लिए करेंगे।

अगर आप ई–मेल अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं या डाक के द्वारा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारी मेलिंग लिस्ट में शामिल हो जाएं।

नाम ______________________________

पता ______________________________

____

ई–मेल ______________________________

मेरी मुख्य रूप से दिलचस्पी इन बातों के बारे में जानकारी से है:

- ❑ सीखने की अक्षमता सेवा उपयोगकर्ता या देखभालकर्ता
- ❑ मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपयोगकर्ता या देखभालकर्ता
- ❑ मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स
  पद नाम ______________________________
- ❑ सीखने की अक्षमता से संबद्ध पेशेवर कर्मी
  पद नाम ______________________________
- ❑ अन्य
  कृपया स्पष्ट करें ______________________________
- ❑ मुझे अपनी जानकारी किसी दूसरे स्वरूप में चाहिए
  (उदाहरण के लिए, पढ़ने में आसान, टेप, किसी दूसरी भाषा में)
  कृपया स्पष्ट करें ______________________________

मैं मानसिक स्वास्थ्य आयोग की मेलिंग लिस्ट में शामिल होने के लिए सहमत हूं।

कृपया हस्ताक्षर करें: ______________________________

हम आपके द्वारा इस फार्म में दी गयी जानकारी को एक डाटाबेस में रखेंगे। हम किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ आपके ब्योरों को शेयर नहीं करेंगे।
हम समझते हैं कि इस फार्म को भरने के बाद हमें भेजकर आपने इसकी सहमति दे दी है। यदि आपने हमारी मेलिंग लिस्ट में शामिल होने की सहमति देती हूं, तभी हम आपको सीधे पत्र भेजेंगे।

अन्य प्रकाशन

आपकी देखभाल और उपचार की निगरानी

लोगों से मुलाकात

कल्याण गार्जियनशिप

नामजद चिकित्सकों की भूमिका

हमारे प्रकाशनों की पूरी शृंखला का ब्योरा हमारी वेबसाइट website www.mwcscot.org.uk पर उपलब्ध है।